राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 456 / 2024

किशोरी लाल रैगर —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, मंडावा मोड, झुंझूनूं।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 23.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आयुर्वेद कम्पाउण्डर के पद पर राजकीय हौम्यूपैथिक, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में वर्ष 2002 में हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 2008 में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, गढलां कलां, झुंझूनूं में स्थानान्तरण किया गया। जहां पर अपीलार्थी वर्तमान में भी कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, भीलवाड़ा में रिक्त पद पर 400 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। दिनांक 20.022024 के आलोच्य आदेश सत्तारूढ़ दल के स्थानीय पूर्व विधायक के द्वारा स्थानान्तरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक—2) को पत्र लिखकर अपीलार्थी एवं अन्य 42 कर्मचारियों द्वारा चुनाव के दौरान असहयोग करने के कारण इनका स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम किशारी कुमार बताया गया है, जबकि अपीलार्थी का नाम किशोरी लाल रैगर है। आक्षेपित स्थानान्तरण

आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, गढलां कलां, झुंझूनूं में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आयुर्वेद कम्पाउण्डर के पद पर राजकीय हौम्यूपैथिक, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में वर्ष 2008 में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, गढलां कलां, झुंझूनूं से राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, भीलवाड़ा में रिक्त पद पर प्रशासनिक कारणों से किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 400 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश

में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)